कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

(मानचित्र स्वीकृत पत्र)

मानचित्र संख्या 314/1594/THA/GH/10-11 दिनांक 20-3-12

श्रीमति/श्री, मैसर्स सूरत सिंह
पुत्र स्व. श्री दीपचन्द
C-168 राम प्रस्थ गाजियाबाद

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 25/01/11 के सन्दर्भ में

आपके प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन की मौहल्ला/

कालोनी/ग्राम खसरा नं. 294, 295, 296 एवं 304 ग्राम प्रहलादगढ़ी ब्लाक वैशाली गा-बाद पर

निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृत प्रदान की जाती है :-

1. यह मानिचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे – नगर पालिका, जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नही है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेगे कि सड़क की ओर न खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटिरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. यह मानचित्र उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे। स्थल पर एक बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र की संख्या व दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।
12. सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 50 रुपये स्टाम्प पेपर 10-12-2010 की पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0 प्र0 राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर लगाना अनिवार्य है। विद्युत नियमों के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़कर ही निर्माण कार्य किया जायेगा।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लाये।
16. 300 वर्ग मीटर या उसके अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटोप हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
17. 12-00 मी. से अधिक ऊचें समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थपना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था करनी होगी।
18. अस्पताल, नर्सिंगहोम, होटल, अतिथि गृह, विश्राम गृह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय प्राविधिक संस्थाएं प्रशिक्षण केन्द्र सामुदायिक केन्द्र बेंक्वेट बेंक्वेट हॉल बारात घर व 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयत्र की स्थापना करना तथा मानचित्र निर्गत होने से पूर्व अग्नि शमन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
19. आवेदक/भू–स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेवर सैस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी अथवा शमन के समय उक्त मद में प्राधिकरण कोष में धनराशि जमा किया जाना आवश्यक होगा।
20. निर्माण का स्ट्रक्चरल सेफ्टी, गुणवत्ता, वर्कमैनशिप एवं निर्माण के समय सुरक्षा आदि का समस्त उत्तरदायित्व भू–स्वामी/निर्माणकर्ता का होगा।
21. भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा–15 (3) के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक भू–स्वामित्व के लिए विधितः बाध्य नहीं है।
22. संलग्नक अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक :

1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र

समस्त प्रकार के भवन / स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु
विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के ऊपर
आर0सी0सी0 टाई बीम डालना उचित / आवश्यक

(हस्ताक्षर)
~~मुख्य नियोजक~~ प्रभारी अधिकारी-मानचित्र
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक /एमपी/ दिनांक